

कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./जविप्रा/भू-अर्जन/2023/317

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2023

“प्रारूप उन्नीस”

[नियम 19 (13) देखिए]

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप-धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-02/JBP/2020 अर्थात् ग्राम रैगवां, रक्शा, बसहा, कचनारी, सिमरिया एवं करमेता को संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप-उन्नीस (क) प्रारूप-उन्नीस (ख) तथा प्रारूप (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण, सिविक सेंटर, मद्दाताल, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर
3. नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिविक सेंटर, मद्दाताल, जबलपुर
4. स्थानीय नगरीय निकाय- नगर पालिक निगम, जबलपुर
5. प्राधिकरण की वैबसाईट अर्थात् jdajabalpur.org

उपरोक्त स्कीम दिनांक 03/02/2023 से प्रभावशील होगी।

प्रशांत श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.